ORDER SHEET

THE COURT

Of 20

विनोद vs शासन

MJCR - 39/2025

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
24.02.2025	अधिवक्ता श्री इंद्रपाल सिंह ने आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 503 बी0एन0एस0एस0 का थाना राहतगढ के अपराध में जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर प्रदान किये जाने बावत् अपने मेमो सहित पेश किया। थाना प्रभारी राहतगढ को केश डायरी एवं प्रतिवेदन हेतु तलब हो। प्रकरण एम0जे0सी0आर0 में दर्ज किया जाये। प्रकरण केस डायरी प्रस्तुति एवं सुपुर्दनामा आवेदन पर विचार हेतु दिनांक 27.02.2025 को पेश हो। **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी** **श्रृंखला न्यायालय राहतगढ**	
27.02.2025	आवेदक/प्रार्थी **विनोद रजक पिता सुंदर रजक उम्र–42 वर्ष निवासी वार्ड क–15 पथरिया, रजवांस, जिला–दमोह म0प्र0** सहित **अधिवक्ता श्री इंद्रपालसिंह** उपस्थित। राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित। प्रकरण केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्ति एवं सुपुर्दगी आवेदन–पत्र पर विचार हेतु नियत है। केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त। आवेदक/सुपुर्दगीदार ने अपने आवेदन एवं तर्क के माध्यम से थाना– राहतगढ जिला–सागर म.प्र. द्वारा प्रार्थी/सुपुर्दगीदार के निजी स्वामित्व व आधिपत्य का वाहन– **महिंद्रा कंपनी की बोलेरो कमांक–एमपी–15टी–3666 को** उपरोक्त अपराध में जप्त किया गया है। उक्त जप्तशुदा वाहन सुपुर्दगीदार को अपने निजी कार्यों में काम पडता रहता है तथा उपरोक्त वाहन पुलिस थाने में खुले में पडा होकर अधिक समय तक पुलिस थाने में रहने से उसमें तकनीकि खराबी	

आने की संभावना है। उक्त वाहन यदि सुपुर्दगी में दिया जाता है तो वह सुपुर्दगीनामा में की सभी शर्तों का पालन करेगा एवं न्यायालय जब–जब उक्त वाहन को न्यायालय में लाने का कहेगा वह उक्त वाहन को लेकर उपस्थित रहेगा व उसके रंग, रूप व स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा और ना ही उक्त वाहन को कहीं विकय, अंतरण या दान नहीं करेगा। प्रार्थी/सुपुर्दगीदार को उक्त जप्तशुदा वाहन के योग्य सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत् आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाहन पुलिस थाना– **राहतगढ** के **अपराध कमांक– 48/2025** अपराध **धारा– 281, 125क, भान्यासं0 तथा** के अंतर्गत वाहन– **महिंद्रा कंपनी की बोलेरो कमांक–एमपी–15टी–3666** का जप्त होना पाया जाता है।

केस डायरी में संलग्न वाहन के रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि व आधारकार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की हैं।

सुपुर्दगीदार/प्रार्थी द्वारा भी उक्त वाहन का **रजिस्ट्रेशन कार्ड गुम होना प्रकट कर वाहन के रजिस्ट्रेशन प्रपत्र की फोटोप्रति मय शपथपत्र के** पेश किया है, व प्रकट किया कि उक्त वाहन आवेदक के नाम से ही परिवहन विभाग में पंजीयत है, जिससे उक्त दस्तावेज के आधार पर यह दर्शित होता है कि उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी **आवेदक– विनोद रजक पिता सुंदर रजक उम्र–42 वर्ष निवासी वार्ड क–15 पथरिया, रजवांस, जिला–दमोह म0प्र0** का होना दर्शित होता है। वाहन बीमित होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, किंतु **माननीय उच्चत्तम न्यायालय द्वारा जयप्रकाश विरूद्व नेशनल इंश्योरेंस लिमिटेड एवं अन्य (2010)2scc607** में यह निर्धारित किया गया है कि जब वाहन का बीमा ना हो तो उस दशा में न्यायालय द्वारा होने वाले नुकसान के लिए भविष्य में आहत की प्रतिकर/क्षतिपूर्ति करने के लिए आवेदक से नगद अथवा जमानत ली जाना चाहिए। किंतु **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुंदरभाई अम्बालाल देसाई विरूद्व गुजरात राज्य ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 638** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि में शीघ्र से शीघ्र अंतरिम अभिरक्षा पर विचार

Date of Order or Proceeding	Order Or Proceeding With Signature of presiding officer	Signature of Parties Pleaders where necesarry

किया जाना चाहिए एवं जप्तशुदा वाहन का अधिक समय तक आरक्षी केन्द्र में रखे रहने देने का कोई औचित्य नहीं है। उक्त न्याय दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि यदि आवेदक की ओर से **1,00,000/- रूपए (अक्षरी एक लाख रूपए) की जमानत** व आवेदक अपनी ओर से **15,00,000/-रूपए (अक्षरी पंद्रह लाख रूपए) का सुपुर्दगीनामा** पेश करे तो उसे जप्तशुदा वाहन निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाए।

शर्तेः- 1. आवेदक वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने के पश्चात विक्रय, दान या अन्य किसी प्रकार से अंतरित नहीं अंतरित नहीं करेगा व वाहन के स्वामित्व के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

2. वाहन को सुरक्षित व उचित देखरेख में इस प्रकार रखेगा जैसे मामूली प्रज्ञावान वाला व्यक्ति रखता है।

3. न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर आवेदक स्वंय के व्यय पर वाहन को न्यायालय में उपस्थित रखेगा।

प्रकरण कुछ समय पश्चात पेश हो।

रोहित शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
श्रृंखला न्यायालय, राहतगढ
सागर जिला-सागर म.प्र.

पुनश्चः-

पक्षकार पूर्ववत।

उक्त आदेश के पालन में आवेदक/सुपुर्दगीदार- **विनोद रजक पिता सुंदर रजक उम्र-42 वर्ष निवासी वार्ड क-15 पथरिया, रजवांस, जिला-दमोह म0प्र0** की ओर से जमानतदार-**कन्हैयालाल पिता भुगन्त घोषी उम्र-71 वर्ष निवासी देवालपुर जिला-रायसेन** द्वारा **ऑनलाईन भू-अधिकार ऋण पुस्तिका कमांक- एलआरआई 21682** पर रूपये **1,00,000/- रूपए (अक्षरी एक लाख रूपए) की जमानत** व

आवेदक अपनी ओर से **15,00,000/–रूपए (अक्षरी पंद्रह लाख रूपये) का सुपुर्दगीनामा** पेश किया गया जो बाद तस्दीक स्वीकार किया गया।

सुपुर्दगीदार की पहचान **श्री इंद्रपाल सिंह अधिवक्ता** द्वारा की गयी।

उक्त वाहन को सुपुर्द करने के संबंध में रिहाई आदेश जारी हो।

थाना प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर दिये जाने के पूर्व जप्तशुदा वाहन के चारो ओर से फोटो खींच कर विस्तृत पंचनामा तैयार कर न्यायालय में प्रेषित करे।

इस कार्यवाही के समस्त प्रपत्र अभियोग–पत्र पेश होने पर उसके साथ संलग्न किये जावे।

रोहित शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
श्रृंख्ला न्यायालय, राहतगढ
सागर, जिला–सागर म.प्र.